सत्यमेव जयते

THE

JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

7 Ashadh , 1943 (S)

No. 331

RANCHI, Monday, 28th June, 2021

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Notification No. - 02/2021 – State Tax (Rate)

S.O. No. 44, Dated 25th June, 2021-- In exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-section (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Jharkhand, in the Commercial Taxes Department, No.11/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 41, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, -

(a) in serial number 3, against items (i), (ia), (ib), (ic) and (id) in column (3) , in the conditions in column (5), in the fourth proviso, in the Explanation, after clause (ii), the following clause shall be inserted namely -

"(iii) the landowner-promoter shall be eligible to utilise the credit of tax charged to him by the developer-promoter for payment of tax on apartments supplied by the landowner-promoter in such project.";

(b)in serial number 25,-

(i)after item (ia) in column (3) and the entries relating thereto, in columns (3), (4) and (5), the following items and entries shall be inserted, namely–

(3)	(4)	(5)
"(ib) Maintenance, repair or overhaul services in respect of ships and other vessels, their engines and other components or parts.	2.5	-"

(ii) in item (ii) in column (3), for the word, brackets, figures and letter " and (ia)", the brackets, figures, letter and word ",(ia) and (ib)" shall be substituted.

2. This notification shall be deemed to be effective from the 2nd day of June, 2021.

[File. No. VaKar/GST/02/2020]
By the order of the Governor of Jharkhand,

Aradhana Patnaik,
Secretary,
Commercial taxes Department.

Note: - The principal notification No. 11/2017 - State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017 was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 41, dated the 29th June, 2017 and was last amended by notification No. 02/2020 - State Tax (Rate), dated the 02nd June, 2020 vide S.O. No. 23, dated the 02nd June, 2020.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना संo. 02/2021- राज्य कर (दर)

एस. ओ. सं. 44, दिनांक 25 जून, 2021 -- झारखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (1), उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर तथा एतदद्वारा, झारखण्ड सरकार, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 11/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे एस. ओ. सं. 41, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,

(क) क्रम संख्या 3, कॉलम (5) में, शर्त में मद (i), (iक), (iख), (iग) और (iघ) के समक्ष, चौथे परंतुक में, स्पष्टीकरण में, खण्ड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जायेगा, यथाः-

‘‘(iii) भू-स्वामी- प्रामोटर उस टैक्स के क्रेडिट का उपयोग टैक्स भुगतान के लिए करने का पात्र होगा, जो डेवलपर-प्रमोटर द्वारा उस अपार्टमेंट के निर्माण की आपूर्ति पर लगाया गया हो, जिसकी सप्लाई भू-स्वामी, प्रमोटर द्वारा की जानी है।“;

(ख) क्रम संख्या 25 में, -

(i) कॉलम (3) में मद (iक) के पश्चात, और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, कॉलम (3), (4) और (5) में निम्नलिखित मदों और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
“(iख) जहाज या अन्य जलयान, उनके इंजन और अन्य घटक या पार्ट्स से संबंधित रखरखाव, मरम्मत या ओवरहॉलिग की सेवाएं	2.5	-”

(ii) कॉलम (3) में, मद (ii) में, शब्द, कोष्ठक और अंक और अक्षर’’ और (iक)” के स्थान पर कोष्ठक, अंक, अक्षर और शब्द, “, (iक) और (iख)” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 2 जून, 2021 को प्रवृत्त होगी।

[सं.सं .वा0कर/जी0एस0टी0/02/2020]
झारखंड राज्यपाल के आदेश से

आराधना पटनायक,
सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग ।

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 को एस. ओ. सं. **41**, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 02/2020- राज्य कर (दर), दिनांक 2 जून, 2020, जिसे एस. ओ. सं. **23**, दिनांक 2 जून, 2020 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 331 -- 50